छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

Phone No- 0771-2422425, Email Id – secycgbse@gmail.com, Website- www.cgbse.nic.in

क्रमॉक/ 315 /गोपनीय/2025 रायपुर, दिनॉक 24.11.25

—:: आदेश ::—

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल अधिनियम 1965 की विनियम 119, 148 के उप–विनियम (1), (2) तथा (3) के अंतर्गत मण्डल द्वारा संचालित परीक्षाओं में पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन/उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्रदाय हेतु निर्धारित प्रक्रिया आदेश क्रमॉक/199/पुनर्गणना प्रकोष्ठ/2025 रायपुर, दिनॉक 25.04.2025 के स0क्र0 05 अनुसार पुनर्मूल्यांकन में पूर्व प्राप्तांकों में 10 प्रतिशत या उससे अधिक अंक वृद्धि होने पर ही अंकों में वृद्धि मान्य किये जाने का प्रावधान है।

मण्डल की कार्यपालिका समिति की बैठक दिनॉक 18.08.2025 की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्रमॉक 09 स0क्र0 01 में माननीय मण्डल सदस्यों द्वारा पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन हेतु जारी निर्देश क्रमॉक/199/पुनर्गणना प्रकोष्ठ/2025 रायपुर, दिनॉक 25.04.2025 के स0क्र0 05 पर अंकित "पुनर्मूल्यांकन उपरांत किसी विषय में 10 प्रतिशत या उससे अधिक अंक वृद्धि होने पर ही अंकों में वृद्धि मान्य की जायेगी" में 10 प्रतिशत अंक वृद्धि को शिथिल कर 05 प्रतिशत किये जाने हेतु दिये गये सुझाव के संबंध में मण्डल की परीक्षा समिति की बैठक दिनॉक 07.10.2025 को प्रकरण विचारार्थ/निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत किया गया।

परीक्षा समिति की बैठक दिनॉक 07.10.2025 विषय क्रमॉक 04 में समिति द्वारा विचारोपरांत छात्र हित में समस्त परीक्षाओं में पुनर्मूल्यांकन में 10 प्रतिशत अंक वृद्धि को शिथिल कर 05 प्रतिशत मान्य किये जाने का निर्णय लिया गया है।

समिति के निर्णयानुसार मण्डल द्वारा संचालित समस्त परीक्षाओं में पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन/उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्रदाय हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत "पुनर्मूल्यांकन उपरांत किसी विषय में पूर्व प्राप्तांकों में 05 प्रतिशत या उससे अधिक अंक वृद्धि होने पर ही अंकों में वृद्धि मान्य की जायेगी"। शेष निर्देश यथावत रहेंगे।

(यह आदेश परीक्षा वर्ष 2026 से प्रभावशील होगा)
(अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित)

21/11/25
सचिव
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

पृ0 क्रमॉक/ 316 /गोपनीय/2025 रायपुर, दिनॉक 24-11-25

प्रतिलिपिः–

(01) निज सचिव, माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी, छ0ग0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ एवं भेजकर लेख है कि कृपया माननीय मंत्री जी को अवगत कराने का कष्ट करें।

(02) समस्त माननीय मण्डल सदस्य, छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर को सूचनार्थ।

(03) अध्यक्ष/सचिव के निज सहायक, छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर को सूचनार्थ।

(04) सचिव, छ0ग0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0) को सूचनार्थ।

(05) संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0) को सूचनार्थ।

(06) समस्त प्रथम श्रेणी अधिकारी, छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर को सूचनार्थ।

(07) समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।

(08) समस्त संभागीय अधिकारी, छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल राजनांदगांव/बिलासपुर/जगदलपुर एवं अंबिकापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(09) समस्त सहायक सचिव/सहायक प्राध्यापक/प्रोग्रामर/कक्ष अधिकारी/समकक्ष अधिकारी, छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(10) आदेश फोल्डर हेतु।

21/11/25
सचिव